जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(परीक्षाः पोस्ट–परिणाम अनुभाग)

<u>ऑनलाईन अस्थाई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) आवेदन हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैः–</u>

1. अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) हेतु किसी भी ई–मित्र द्वारा या ऑन–लाईन साईट पर जाकर पंजीयन किया जा सकता है।
2. पंजीयन होने के बाद आपको पंजीयन ID से अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) पूर्ण विवरण के साथ फार्म भरा जा सकता है।
3. विद्यार्थी अपनी अन्तिम परीक्षा के रोल नं. व जन्म तिथि भरकर आवेदन कर सकते हैं।
4. जिन शैक्षणिक सत्र की उपाधियां सीनेट से अनुमोदित नही हुई है उन शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों को ही अस्थाई प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे।
5. परीक्षा विभाग पत्र क्रमांकः जनावि/परीक्षा/2023/3902 दिनांक 08.09.2023 के अनुसार फीस निम्न प्रकार देय होगीः–
   - 100/– रूपये में दो कार्य दिवस के बाद अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) प्राप्त किया जा सकता है।
   - 200/– रूपये में एक कार्य दिवस के बाद अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) प्राप्त किया जा सकता है।
   - 500/– रूपये में आवेदन उसी दिन 1:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात् स्वंत ही आवेदन पत्र की प्रक्रिया बन्द हो जायेगी। 500 रूपये में उसी दिन कार्य दिवस पर अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) प्राप्त किया जा सकता है।
   - अस्थाई प्रमाण–पत्र सायं 04.00 बजे प्रदान किये जायेंगे।
6. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के अंकित विवरण का ही अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) जारी किया जायेगा।
7. विद्यार्थी अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) प्राप्त करने हेतु <u>अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद **की** प्रति साथ में लावें।</u>
8. बिना विवरण व अधूरा फार्म होने पर अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) जारी नहीं किया जायेगा। गलत विवरण या अधूरा फार्म होने पर अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मान्य नहीं होगा व जमा शुल्क वापस देय नहीं होगा व अन्य दस्तावेज प्राप्त करने हेतु राशि हस्तान्तरण नहीं होगी।
9. जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम RW or RL है उन परीक्षार्थियों को अस्थाई प्रमाण–पत्र जारी नही किये जायेंगे।
10. अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) प्रस्तुत ऑन–लाईन फार्म में विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्राप्त शिक्षा का पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य है।
11. अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) फार्म प्रस्तुत करने के बाद निरस्त करवाने पर शुल्क वापस देय नहीं होगी।
12. अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त डाक शुल्क 50 रूपये देय होगा। ट्रेकिंग आई.डी. प्राप्त के दो दिवस के पश्चात् ही डाक ऑनलाईन ट्रेक करे।
13. अस्थाई प्रमाण–पत्र ऑन लाईन के द्वारा आवेदन करने पर ही मान्य होगा। ऑफ आईन द्वारा अस्थाई प्रमाण–पत्र आवेदन करने पर किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा।

14. विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण सभी अंकतालिकाओं एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदान आई.डी कार्ड/अन्य सरकारी वैध पहचान पत्र) की प्रति संलग्न/ऑनलाईन अपलोड करनी होगी।

15. मूल अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) प्राप्त करने के लिए परीक्षा : पोस्ट–परिणाम अनुभाग में ऑनलाईन द्वारा जारी प्राप्ति रसीद तथा मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. ऑनलाईन सर्वर/तकनीकी समस्या होने पर सर्वर/तकनीकी समस्या निवारण के पश्चात् ही अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) जारी किया जायेगा।

17. अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात् 10 दिवस के भीतर अस्थाई प्रमाण–पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा। उसके पश्चात् विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Note : The Original Degree/Certificate of passing the examination will be issued in due course of time/at the convocation.

कुलसचिव